



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14102026-277129
CG-DL-E-14102026-277129

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5405]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 13, 2026/आश्विन 21, 1948

No. 5405]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 13, 2026/ASVINA 21, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर, 2026

का.आ. 5619(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए। केंद्र सरकार इसके द्वारा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एस.ओ. में निम्नलिखित संशोधन करती है। 619(ई), दिनांक 31.01.2019, 3962(ई), दिनांक 03.11.2020 भारत के राजपत्र में प्रकाशित। असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii)।

अनुसूची के कॉलम नंबर 2 में उल्लिखित विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग बेंगलोर को विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, हसन के रूप में पढ़ा जाएगा।

[फा. सं. 12014/63/2017-KNT]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**CORRIGENDUM**

New Delhi, the 12th October, 2026

S.O. 5619(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956). The Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 619 (E), dated 31.01. 2019, S.O. 3962 (E), dated 03.11. 2020 published in the Gazette of India. Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii).

The Special Land Acquisition Officer, National Highways, Bangalore, mentioned in column no.2 of Schedule, shall be read as Special Land Acquisition Officer, National Highway Authority of India, Hassan.

[F. No. 12014/63/2017-KNT]

SHAIKH AMINKHAN, Director